गंदगी की घृणित असभ्यता

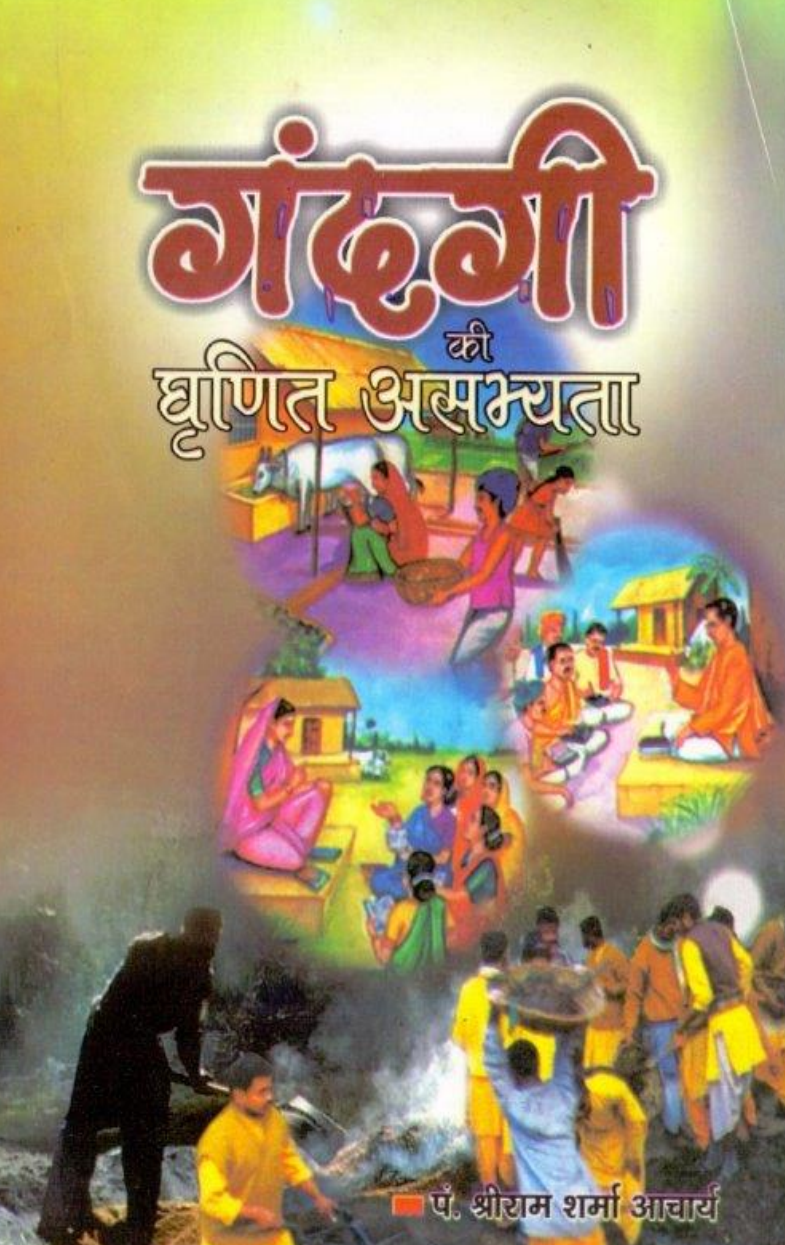

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

सफाई और सभ्यता

विलियम वैम्पायर नामक एक अंग्रेज पर्यटक भारतवर्ष आया, यहाँ उसने कई वर्ष बिताकर भारतीय अध्यात्म का गहन अध्ययन किया। हिन्दू धर्म की तात्विक गवेषणाओं से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि- ''यदि मुझसे कोई पूछे कि हिन्दू धर्म क्या है? तो मैं यही कहूँगा कि वह मनुष्य का सच्चा स्वरूप है।'' पर इसी वैम्पायर ने अपनी यात्रा के संस्मरणों में भारतीय लोगों के गन्दा होने पर जो बड़ा कटु व्यंग्य किया है वह भी कम विचारणीय नहीं है।

वैम्पायर लिखता है-''आप उस देश में कभी भटक नहीं सकते। अँधेरी रात में आप जंगल में रास्ता भूल गए हों,तो किसी उँचे स्थान पर खड़े हो जायें। चारों ओर को घूम-घूम कर हवा की सुगन्ध पहचानने का प्रयत्न करें फिर जिधर से दुर्गन्ध आती मालूम पड़ रही हो उधर को चल पड़े, मेरा विश्वास है आप बहुत जल्दी किसी गाँव में दाखिल हो जायेंगे।''

हमारा पिछड़ापन- उपरोक्त कथन में संभव है कुछ अतिशयोक्ति हो, पर वस्तुस्थिति बहुत कुछ ऐसी ही है। हमारे देश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी इस बात को माना है। महात्मा गाँधीजी कहते थे-''मुझे अपने देशवासियों की गंदगी बहुत कष्ट देती है, पर वह इतनी व्यापक हो चुकी है कि उसे हटाने में स्वतंत्रता प्राप्त करने से भी अधिक समय लगेगा।''

अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन, रायपुर में सफाई शिविर में श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा - ''सफाई के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अपना देश दुनियाँ के देशों में सबसे गंदा देश है। शायद उसका कारण यह हो सकता है कि भारत में जाति प्रथा के कारण कुछ जातियों को नीच मानकर सफाई का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया है।''

हमारे यहाँ तीर्थों की पवित्रता को बहुत महत्त्व दिया जाता है; पर यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा हमारे देश

के तीर्थ स्थान और भी अधिक गंदे मिलेंगे। तीर्थ-स्थानों की गंदगी भी पाश्चात्य देशों से छुपी नहीं है। एक बार एक फिलासफी के अध्यापक महोदय इंग्लैण्ड गये। यह घटना भारत को स्वतंत्रता मिलन के बाद की है। प्रोफेसर साहब का एक जनसभा में भाषण हुआ। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जितनी अधिक प्रशंसा कर सकते थे उन्होंने की। सभा समाप्त हुई, तो उनके अंग्रेज मित्रों में से एक सज्जन, जो बड़े वाचाल थे, उन्होंने पूछ ही लिया-"मास्टर साहब! क्या आप बता सकते हैं कि भारत में अभी लोग कुत्ते, बिल्लियों की तरह जहाँ-तहाँ पाखाना, पेशाब क्यों करते फिरते हैं?" प्रोफेसर साहब बड़े शर्मिन्दा हुए, उनसे कोई साफ उत्तर न देते बन पड़ा।

सफाई सभ्यता का अंग

सीधी सच्ची बात है कि जब तक हमारे घर, द्वार और रास्ते गंदे रहेंगे, हमारी आदतें गन्दी रहेंगी, तब तक हम अपने आपको सभ्य और सुसंस्कृत नहीं कह सकते। आज पूरा भारत और भारतीय समाज गंदगी का अखाड़ा बन गया है, इस बात से न हम इन्कार कर सकते हैं, न आप। गाँवों की गलियाँ गंदी हैं, सड़कों के किनारे गंदे हैं, लोगों के पाखाने जाने और पेशाब करने के तौर-तरीके गलत हैं, इतना ही नहीं आज जीवन के हर क्षेत्र में गंदगी प्रवेश कर गई है। सोचने और व्यवहार करने का तरीका भी गंदा हो गया है। दूषित वातावरण के रहते, भले ही लोगों का धर्म और दर्शन कितना ही गौरवपूर्ण एवं प्राचीन क्यों न हो उन्हें कोई सम्मान नहीं दे सकता। श्रेष्ठता और संस्कृति का पहला गुण स्वच्छता है। हम साफ रहकर ही अपने आदर्श सिद्धांतों की रक्षा कर सकते हैं।

गंदगी की घृणित मनोवृत्ति

गाँव के गरीब किसान गंदे होते हैं, उनके लिए तो यह कहा जा सकता है कि वे अनपढ़ होते हैं, खेती और मवेशियों के साथ उनका गंदापन कुछ अंशों में स्वाभाविक भी है; किन्तु शहर में रहने वाले शिक्षित लोगों की मनोवृत्ति भी सफाई की दिशा में नहीं है। चलते-चलते छिलके बिखेरते जाना, जगह-जगह थूक देना, खुले स्थानों में

पखाना कर जाना, इन गंदी आदतों से शिक्षित वर्ग भी कम ग्रस्त नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति भारतीय समाज में संस्कारभूत बन गई है, इसलिए वह और भी अधिक चिन्ता का कारण है।

स्वच्छता और सफाई के व्यावहारिक दर्शन की व्याख्या करते समय हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि सफाई का प्रारंभ बाहर से किया जाय अथवा स्वयं के संस्कारों से।

सफाई प्रकृति का एक मौलिक गुण है। स्वच्छता और पवित्रता धर्म का प्रमुख अंग भी माना जाता है, तो उसका सही-सही ज्ञान भी होना आवश्यक है। शिक्षा और संस्कृति के साथ सफाई का भी स्वास्थ्य से अटूट सम्बन्ध है; पर आजकल लोगों ने सफाई के संबंध में अपना दृष्टिकोण बड़ा संकुचित कर लिया है। शरीर की सफाई, वस्त्रों की सफाई और घर के भीतरी कमरों की सफाई ही पर्याप्त नहीं । वर्तमान विज्ञान और अर्थ प्रधान युग में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सफाई का आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से क्या स्थान है? हमने सफाई को आध्यात्मिक जीवन का मुख्य पहलू माना है, तो उसे एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित नहीं रख सकते। समाज के सर्वांगीण हित की दृष्टि से सफाई के बुनियादी तथ्यों तक पहुँचना पड़ेगा। गन्दगी के कारण जानने होंगे और उनका निवारण भी करना होगा।

शहरों में मकानों के जो अहाते होते हैं या नालियाँ होती हैं वहाँ तरह-तरह के कचरे के ढेर पाये जाते हैं। बच्चे रास्तों के किनारों पर टट्टी कर जाते हैं, पाखनों की नालियाँ पाट जाते हैं। कचरे के ढेर में जूठन, मरे चूहे, थूक, बच्चों के पाखाने के साथ-साथ खाली-फूटी शीशियाँ, डिब्बे घड़ों के ठीकरे, कागज, चीथड़े, टूटे-फूटे झाड़ू, कंघे, काँच के टुकड़े, दातूनों की चीरियाँ, केले के छिलके, तरकारी के डण्ठल, हर तरह की परित्यक्त और गन्दी वस्तुओं का मेला लगा रहता है।

गाँव के लोग खुले स्थानों में, खेतों की मेड़ों में, गलियारों के दोनों तरफ, गाँवों के भीतर टूटे-फूटे मकानों में पाखाना कर देते हैं। कई गाँवों में तो नाक बन्द करके ही प्रवेश करना पड़ता है। खुले में किये

पाखाने की बदबू हवा में फैलती है और उससे बीमारी फैलती है। मल पर मक्खियाँ बैठती हैं और फिर वही मक्खियाँ लोगों के शरीर तथा खाने-पीने की वस्तुओं पर बैठती हैं। वही खाना लोग खाते भी हैं, तो मक्खियों के द्वारा लाई हुई गन्दगी पेट में पहुँच जाती है और हमारे लिए बीमारी का साधन बन जाती है।

किसी रेलवे-स्टेशन पर जाकर चक्कर लगा आयें। प्लेटफार्म पर थोड़ी देर रुककर रेलगाड़ी चली जाती है तब वहाँ क्या दिखाई देता है? रेल की पटरियों पर ढेर सारा पाखाना, पेशाब, प्लेटफार्म पर कुल्हड़ के टुकड़े, बीड़ी, सिगरेट के सिसकते हुए टुकड़े, पान की पीक, फलों के छिलके-यही सब तो सफर करने वाले यात्री छोड़ जाते हैं। भला बताइये यह भी कोई सभ्यता हुई कि आप तो चले गए, पर वहाँ रुकने वालों,रहने वालों के लिए रोग, बीमारी और मौत की दवा छोड़ते गये।

यत्र-तत्र सर्वत्र

सिनेमा हालों में भारी दर्शक पहुँचते हैं। इण्टरवल होता है तो दर्शकों का हुजूम भीतर से निकलता और टिड्डी दल की तरह सिनेमा बिल्डिंग के आस-पास फैल जाता है। पेशाब-घर होते हुए भी खुले में, दीवालों के सहारे लोग पेशाब कर जाते हैं।

शहरों में ऊपर स्टाल पर लोग होटलों पर बैठकर भोजन करते हैं, नीचे नाली में टट्टी बहती रहती है। दुकानदारों का पेशाब घर भी वही नाली होती है। बचा हुआ जूठन, बर्तनों की धोवन भी वहीं पटकते रहते हैं। कुल मिलाकर भोजनालय के नीचे एक भरा-पूरा दुर्गन्धालय बन जाता है। इन दोनों का संबंध मक्खियाँ जोड़ देती हैं और रोग के कीटाणुओं का निर्यात प्रारंभ हो जाता है।

ऐसी गंदगी हर शहर, हर गाँव में देखने को मिलती है और उससे प्रति वर्ष हैजा, मलेरिया, प्लेग, क्षय और अनेक तरह के स्त्रियों तथा बच्चों के रोग फैलते हैं। पर इस सामूहिक बुराई के प्रति लोग अपने व्यक्तिगत कर्तव्य पालन के लिए तैयार नहीं होते।

स्वच्छता सरल व साक्षेप

मल-मूत्र की सफाई ऐसा मोटा विषय है, जिसके लिए लोगों के

शिक्षित-अशिक्षित होने का सवाल ही नहीं उठता। कुत्ता जहाँ बैठता है उस स्थान को पहले पंजों से साफ कर लेता है, बिल्ली हमेशा किसी धूल वाले स्थान के पास टट्टी करती है और टट्टी होने के बाद उसे रेत से ढक देती है। जंगली बिलाव अपने निवास स्थान से बहुत दूर टट्टी जाते हैं। मधुमक्खियाँ दिन में दो बार सामूहिक रूप से छत्ते से उड़ती हैं और बड़ी देर तक बाहर उड़ती हुई टट्टी कर लेती हैं। यह छोटे-छोटे जीव-जन्तु यदि गन्दगी के प्रति इतने सावधान रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य भी सफाई का प्रबन्ध न कर सके; पर अपनी गन्दी आदत के कारण वह इस घिनौनी शक्ल को मिटाने की इच्छा नहीं करता अथवा यह कहना चाहिए कि गन्दगी उसकी प्रकृति में मिल गई है और उसे वह बुरी नहीं लगती।

कुछ को बुरी न लगे न सही; पर समाज में दूसरे लोग भी तो होते हैं, जिनको सफाई प्यारी होती है, स्वास्थ्य प्रिय होता है। सफाई का महत्त्व सामाजिक दृष्टि से भी समझना चाहिए। सफाई का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना समाज टिक नहीं सकता। अत: जिस प्रकार व्यक्तिगत जिन्दगी में अन्य सामाजिक नियमों को स्थान दिया जाता है ठीक उसी तरह मल-मूत्र की स्वच्छता को भी सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग मानकर आचरण करना चाहिए।

स्वच्छता सांस्कृतिक सद्गुण

सफाई मनुष्य जीवन और मानवीय सभ्यता का अविभाज्य अंग है। हिन्दू-धर्म ही नहीं, हर एक धर्म में सफाई की ओर निर्देश करने वाले आचार वर्णित हैं। अंग्रेजी में कहावत है- "सज्जनता के बाद स्वच्छता का ही स्थान है।" रस्किन ने शिक्षा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि- "हवा, पानी और मिट्टी का ठीक ढंग से उपयोग करना ही शिक्षा है।"

मोहन जोदड़ों की खुदाई से ज्ञात होता है कि ईसा से ३००० वर्ष पहिले भी सफाई के लिए नालियाँ होती थीं। क्नोसास तथा ट्राय को पराजय के पूर्व से ही मिस्र के पुराने शहरों में भी नालियों का उपयोग किया जाता था। हिन्दू-धर्म में तो शुचिता को प्रमुख स्थान ही दिया गया

है, पर आजकल हमारे सामूहिक जीवन में गन्दगी ने पूरी तरह डेरा डाल लिया है। सफाई की जरूरत जीवन के आरंभ से अन्त तक है, इसलिए उसका बुनियादी प्रशिक्षण भी लोगों को मिलना चाहिए। आरोग्य के लिए भी सफाई बहुत जरूरी है। बड़े रोगों और बुखार, खुजली तथा छोटे रोगों का असली कारण अस्वच्छता ही है, उसे दूर करके ही हम स्वास्थ्य-संरक्षण कर सकते हैं।

हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता की रक्षा करनी हो, तो सफाई पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य और आरोग्य की रक्षा के लिए भी वह आवश्यक है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी सफाई का सर्वोपरि महत्व है, इसलिए उसकी व्यावहारिक जानकारी भी बहुत आवश्यक है।

गन्दगी रोग की जननी

खुले स्थानों पर या नालियों के किनारे लगे हुए कूड़े-कचरे के ढेर और पाखानै पर कभी दृष्टि दौड़ाने का अवसर मिले और खुर्दबीन की सहायता से ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो उसमें सर्प के बच्चे जैसा एक छोटे से आकार का रेंगता हुआ जीव हर किसी को देखने को मिल सकता है, इसका वर्ण केंचुये जैसा मलिन और किंचित लाल जैसा होगा। यह छोटा-सा जीव पाखानों की गन्दगी में आमतौर पर जन्म ले लेता है; पर चूँकि लोग उन स्थानों से निकलते समय दुर्गन्ध और घृणा से उधर से मुँह फेर लेते हैं, इसलिए उनके दर्शन नहीं हो पाते और न ही लोगों को इसके कारनामों का पता चल पाता है।

यह शुण्डाकार जीव नर और मादा-दोनों रूप में पाया जाता है। नर को चूँकि प्रसव का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, इसलिए वह आकार में काफी छोटा होता है। डाक्टरों का ऐसा अनुमान है कि इस जाति की प्रत्येक आसन्न-प्रसवा गर्भिणी के गर्भ में लगभग पौने तीन करोड़ गर्भजीव होते हैं। यह जीव कितने छोटे होते होंगे इसका सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है।

कीटाणु कैसे फैलते हैं ? गर्भ पक जाता है, तो यह जीव अण्डे देना शुरू करता है। एक दिन में मादा आमतौर पर २ लाख अण्डे उस मल

के ढेर में उड़ेल देती है और इस क्रिया को तब तक जारी रखती है जब तक कि उसका पूरा पेट खाली नहीं हो जाता। मल को कई दिनों तक खुला छोड़ रखने से यह जीव तो मर जाता है, पर ये अत्यन्त सूक्ष्म कीटाणु अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। मल साफ हो जाने पर भी नीचे जितना मल जमीन पकड़ लेती है, वहाँ तथा आस-पास के वातावरण में यह कीटाणु फैल जाते हैं। लोग समझते हैं कि मल की दुर्गन्ध ही हानिकारक होती है, पर यह कीटाणु मनुष्य के आरोग्य के लिए उससे भी अधिक घातक सिद्ध होते हैं।

मादा अण्डे देकर मर जाती है, पर प्रकृति उन अण्डों की रक्षा करती है। जिस अण्डाकार खोल के बीच में यह कीटाणु बैठा हुआ होता है वह आवरण इतना कड़ा होता है कि तेज धूप में भी न तो वह टूटता ही है और न ही जलता है। जीव भीतर ही भीतर पकता रहता है और अपनी क्रियायें जारी रखता है। वायु , बरसात तथा पानी का भी उस पर कोई असर नहीं होता और न ही जीव को बाहरी पोषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्थान्तर होते रहने पर भी यह जीव वर्षों तक सुरक्षित जीवन धारण किये रहते हैं।

अब इन कीटाणुओं के फैलने की बारी आती है। हवा में उड़-उड़कर यह एक स्थान से दूसरे स्थानों में पहुँचते हैं। नालियों में पानी के बहाव के साथ बहते हुए यह जहाँ गन्दा नाला गिराया जाता है वहाँ तक पहुँचते हैं। आमतौर पर सभी शहरों के गन्दे नाले बड़ी नदियों में ही गिराये जाते हैं। गंगा-यमुना जैसी पवित्र नदियों को भी नहीं छोड़ा गया। यह कीटाणु आराम से उन नदियों के पानी में मिल जाते हैं और दूर-दूर तक फैलते चले जाते हैं। इस पानी को जो लोग पीते हैं जरूरी है कि उनके पेटों में भी यह कीटाणु पहुँचते होंगे और स्वास्थ्य को चौपट करने में जुट जाते होंगे।

रोग की अम्मा

कीटाणुओं को सबसे खतरनाक ढंग से एक स्थान से दूसरे तक पहुँचाने का काम निरन्तर इधर से उधर चहलकदमी करने वाली मक्खी करती है। "रोग की अम्मा" कहलाने के गौरव को मक्खी भली

प्रकार चरितार्थ करती है, पर चूँकि न तो यह मल से उत्पन्न कीटाणु ही आँखों से दिखाई देते हैं और न ही इस मक्खी के षड्यंत्र का लोगों को पता चल पाता है, इसलिए लोग उससे बिल्कुल बेखबर और असावधान रहते हैं। मक्खी आदमी की इस बेखबरी का पूरा लाभ उठाती है और बेरोक-टोक अपनी काली करतूत जारी रखती है।

स्वाद बदलने में मक्खी बड़ी प्रवीण होती है। उसकी नासिका इतनी तीव्र होती है कि वह जिधर से अपने खाद्य की सुगन्ध पाती है, क्षणभर में ही उधर जा पहुँचती है। मल के ऊपर असंख्य मक्खियाँ मँडराया करती हैं, लोग इससे आगे कुछ नहीं जानते। पर मक्खी की क्रिया कोई सावधानी से देखता रहे, तो मालूम हो कि वह कितने अनोखे ढंग से उन कीटाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पोस्टमैन द्वारा चिट्ठी बाँटने की तरह बाँटती फिरती हैं।

मक्खी के छः पैर होते हैं, उन पैरों में बहुत ही महीन बाल होते हैं और पैरों के सिरों पर एक तरल चिपकदार पदार्थ लगा रहता है। मक्खी जब मल पर बैठती है तो उसके पैरों में, पैर के बालों में पाखाने की गन्दगी के साथ-साथ अनेक कीटाणु भी लिपट जाते हैं। दूसरा नम्बर मुँह का है। मल में बैठते ही वह अपनी थूथन के आकार की सी चोंच को नीचे झुकाती है और मुँह से थोड़ी-सी लार उस मल पर टपका देती है। इससे काफी सूखा मल भी काफी तरल पड़ जाता है। अब इसे मक्खी बड़े मजे से चूस लेती है, जिससे मल और कीटाणुओं की बहुत सी मात्रा उसके पेट में दाखिल हो जाती है।

अभी वह मल से तृप्त भी न हो पाई थी कि सड़क पर बैठे हलवाई की मिठाई की खुशबु उसकी नाक तक पहुँची। मक्खी ने तेज उड़ान भरी और सीधे मिठाई वाले की दुकान पर दाखिल हुई। मिठाई वाला बेचने और पैसे वसूल करने में मस्त था, उसे क्या पता, कौन दोस्त आया और कौन दुश्मन? मक्खी बड़े मजे से मिठाई पर बैठ गई और मल के ढेर से लाई हुई गन्दगी तथा कीटाणु को उड़ेल गई। काम पूरा हुआ और मक्खी उड़ गई। दिन भर, दुकानों में गुड़, मिठाई, गीले फलों, पिण्डखजूर, घी, पट्टी, गुड़घानी आदि अनेक पदार्थों में यह

मक्खी गन्दगी और रोग के कीटाणु ले जाकर उड़ेलती रहती है। फिर जो लोग उन पदार्थों को खरीदकर खाते हैं यह कीटाणु उनके शरीरों में पहुँच जाते है और इस प्रकार बीमारी पैदा करते हैं।

इधर भी ध्यान दें

नालियों और खुले स्थानों में विसर्जित किया हुआ मल कई बार किन्हीं बड़े घातक रोग वाले रोगियों का भी होता है, उसमें कीटाणुओं के साथ रोगों के कीटाणु भी होते हैं, मक्खी उन्हें भी इधर से उधर फैलाती है। चेचक, हैजा, मलेरिया, दस्त आदि संक्रामक बीमारियाँ मुहल्ले में इसीलिए तेजी से फैलती हैं। सब लोग मक्खियों से बचाव का प्रयत्न करते हैं, पर यह उतना आसान नहीं। मक्खी तो जगह-जगह बैठती है, उसे किन-किन स्थानों से हटाया जायगा। इस समस्या का सीधा और सरल हल तो सफाई ही है। सड़कों और नालियों के किनारे पाखाना फिरने की असावधानी लोग न करें, तो मक्खियों को रोग फैलाने का अवसर भी न मिले।

हमारी लापरवाही मक्खियों का दोष है, पर हम गंदगी के प्रति लापरवाह लोग उनसे भी अधिक दोषी हैं। मल और मूत्र को विसर्जित करने की स्वेच्छाचारिता बरतकर रोग और बीमारी को निमंत्रण देने के कारण हम स्वयं ही हैं। इससे हम उन असंख्य बालकों और वयस्कों को बीमार करने एवं मृत्यु के मुख में धकेल देने के पाप के भागीदार बनते हैं। जहाँ-तहाँ खुलेआम टट्टी करते फिरते रहने वाले लोग नहीं जानते कि वे अपनी थोड़ी-सी लापरवाही से कितना बड़ा राष्ट्रीय अहित एवं सामाजिक पाप करते हैं।

लोग थोड़ी-सी परवाह करें, तो टट्टीघरों में पाखाना फिरना कोई कठिन बात नहीं है। गाँवों में भी लोग थोड़ा-सा ध्यान दें, तो मल-मूत्र की समस्या इतनी जटिल नहीं है कि उसे काबू में न किया जा सके। नागरिक की दृष्टि से हमारा कर्तव्य है कि हम सब जगह गंदगी फैलाकर समाज के लिए खतरा न पैदा करें। "खुद साफ रहो, सुरक्षित रहो, औरों को रोग और बीमारी से बचाओ" हमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इसमें समाज की भी सुरक्षा है और व्यक्तिगत सुरक्षा भी।

मल-मूत्र का आर्थिक महत्त्व, उसका सदुपयोग

जिस मल-मूत्र की गन्दगी से रोग के कीटाणुओं को जन्म मिलता है, उसे ही यदि सँम्भाल कर उपयोग में लाया जाय, तो वह मनुष्य के लिए सोने जैसा बहुमूल्य सिद्ध हो सकता है। कैलिफोर्निया के "हाइपीरियन स्लज-प्लाण्ट" को देखने का किसी को अवसर मिले, तो वह मल-मूत्र की उपयोगिता का सहज ही में अन्दाज लगा सकता है।

यह प्लांट अत्याधुनिक किस्म का है। नगर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जमीन के अन्दर-ही-अन्दर मल और मूत्र जिसका ९९.७ प्रतिशत भाग तरल होता है, एक नदी के रूप में बहता है और "हाइपीरियन" तक जाता है। अनुमान है कि इसमें १० करोड़ गैलन पानी बहता है, जिसमें लगभग पाँच हजार गैलन मल-मूत्र होता है। जैसे-जैसे यह मात्रा बढ़ती है, उसमें "ऐरोविक" तथा "ऐरोविन" किस्म के कीटाणु भी बढ़ते हैं। यह कीटाणु मनुष्य जाति की बड़ी सेवा करते हैं। मल और मूत्र से यहाँ जो गैस तैयार की जाती है उससे १६९० हार्स पावर के "ड्यूएल-फ्यूएल" इंजन चलाये जाते हैं, जो प्रकाश प्रदान करते हैं। ठोस गन्धहीन पदार्थ रह जाता है, उसे खाद के रूप में किसानों को बेच दिया जाता है। इसकी कीमत १० डालर प्रति टन होती है। अन्त में जलधारा शेष रहती है, उसे क्लोरीन से शुद्ध कर १ मील लम्बी पट्टी द्वारा प्रशान्त महासागर से मिला दिया जाता है जिससे सागर तट भी स्वच्छ और साफ बना रहता है।

मल-मूत्र का सदुपयोग

कुछ ऐसे देश हैं जहाँ ऐसे प्लांटों का निर्माण नहीं हो पाता, पर वे मल-मूत्र को खाद के क्रम में प्रयुक्त करते हैं और उससे खेती की उपज बढ़ाते हैं। चीन और जापान में मल-मूत्र का खाद के लिए बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। साधारणतया एक फसल उगाने के बाद जमीन का नाइट्रोजन तत्त्व कम पड़ जाता है फासफोरस तथा पोटाश की कमी से भी उपजाऊपन कम हो जाता है। यह तीनों तत्त्व मानवीय मल-मूत्र से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। जापान के सरकारी कृषि केन्द्रों से प्रसारित आँकड़ों में दिखाया गया है कि वहाँ प्रति व्यक्ति वर्ष भर में १२० पौण्ड मल और ७०० पौण्ड मूत्र इकट्ठा होता है। इस मल में नाइट्रोजन, फासफोरस

तथा पोटाश की मात्रा क्रमशः १.२० पौण्ड ३९ पौण्ड,४१पौण्ड तथा होती है। यह मात्रा प्राकृतिक साधनों से प्राप्त किये गये तत्त्वों का दशांश होती है। इससे मालूम होता है कि मनुष्य का मल-मूत्र कृषि के लिए खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

मल एक सुन्दर खाद

भारतवर्ष में कृषि के लिए खाद का प्रमुख स्त्रोत जानवर हैं। जानवरों के गोबर का भी ५० प्रतिशत भाग तो ईंधन के रूप में फूँक दिया जाता है और मूत्र को इकट्ठा करने की व्यवस्था न होने से वह भी प्रायः बेकार चला जाता है। देश की जनसंख्या बढ़ेगी और मशीनों का बाहुल्य होगा, तो जानवरों की संख्या पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, वे क्रमशः कम होते जायेंगे। इससे खेती के लिए खाद की समस्या भी बढ़ेगी। इसका कोई खास हल अभी से किया जाना चाहिए , अन्यथा खाद्य की प्रचण्ड समस्या को हल करना और भी कठिन हो जायेगा।

पाश्चात्य देशों-इंग्लैण्ड, जिरार्ड, मट्ज आदि में मनुष्य के मल-मूत्र को खाद के रूप में प्रयुक्त किये जाने के सफल प्रयोग हुए हैं। १९४३ में डॉक्टर रिचर्डसन ने जो ६ वर्ष तक चीन में रहे और कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान किये, भारत में अपने एक व्याख्यान में बताया कि चीन ने अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई है, इसमें गोबर की खाद का उतना महत्व नहीं जितना उन्होंने मनुष्य के मैले का उपयोग किया है। उन्होंने कहा - ''यदि चीन आदमी के मैले का उपयोग नहीं करता तो वह इतनी बड़ी आबादी को जीवित भी नहीं रख सकता था।'''चालीसवीं सदी के किसान'' नामक पुस्तक के रचयिता मिस्टर किंग ने भी चीनी, कोरियन तथा जापानियों द्वारा मल-मूत्र का प्रयोग कर कृषि की उपज बढ़ाने का उल्लेख किया है । मिस्टर किंग अपने समय के विश्व विख्यात कृषि विशेषज्ञ माने जाते थे।

इसे बर्बाद न करें तो

भारतवर्ष में खाद देने वाले जानवरों की अपेक्षा मनुष्यों की संख्या दुगुनी मानी जाती है, इससे मनुष्यों के मल-मूत्र का खाद के रूप में उपयोग किया जा सके, तो उससे खाद ओर खाद्य दोनों ही समस्याओं

को हल करने में आशातीत सफलता मिल सकती है। इस बात की और सन् १९३५ के लगभग बोएलकर तथा लेधर नामक दो बड़े भारतीय कृषि विभाग के अधिकारियों ने सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया था। उनका कहना था कि खाने की फसलें उगाने के लिए जमीन को जितने द्रव्य की आवश्यकता होती है उसका आधा भाग मनुष्य के मल-मूत्र से बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है।

इन्होंने यह भी सिद्ध किया था कि यदि मल-मूत्र की खाद को इस्तेमाल किया जाय, तो उससे सालभर में प्रति व्यक्ति ६०० रुपये की अधिक फसल उगाई जा सकती है। यदि एक गाँव की आबादी ५०० की औसत से मानी जाय तो, प्रत्येक गाँव में ३ लाख रुपये की अधिक फसल उगाई जा सकती है। भारतवर्ष में गाँवों की कुल संख्या ५,६७,१६९ है। इस हिसाब से कुछ अधिक उपज की कीमत निकालें, तो वह १ अरब ७० करोड़ १५ लाख ७ हजार के बराबर बैठती है। इतना धन हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी खाद्य समस्याओं को आसानी से पूरा कर सकता है।

हमारी कठिनाइयाँ

सुरगाँव (वर्धा) में इस तरह का प्रयोग किया गया है। पहले वर्ष एक खेत में बिना कुछ खाद दिये हुए धान बोया गया। दूसरे वर्ष उसी में मल-मूत्र की खाद को डेढ़ गुना अधिक तक बढ़ा देती है। यह अनुपात गोबर की खाद की देकर धान बोया गया। दोनों फसलों की पैदावार का अनुपात निकाला गया तो यह देखा गया कि मल-मूत्र की खाद उपज को डेढ़ गुना अधिक तक बढ़ा देती है। यह अनुपात गोबर की खाद की उपज से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुँचकर मल-मूत्र की उपयोगिता सहज ही समझ में आ जाती है।

हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि मल-मूत्र को कृषि से संबंधित करने में धार्मिक बुराई मानते हैं, पर यदि ऐसा ही सोचा जाय, तो फिर गाँवों के अधिकांश व्यक्ति खेतों में ही पाखाना करते हैं उन्हें ऐसा न करना चाहिए। वस्तुत: हम जिसे मल कहते हैं उसे यदि खुले में ही छोड़ दिया जाय और वह सूखी मिट्टी की लपेट में रहे, तो कुछ दिन

के सम्पर्क से ही उसमें ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है कि वह सारा मल मिट्टी के रूप में बदल जाता है। खुला रहने के कारण दुर्गन्ध के साथ तो उसकी बहुमूल्य उपजाऊ शक्ति उड़ ही जाती है। यदि उसे मिट्टी से ढक देने की प्रक्रिया देहातों में प्रारंभ कर दी जाय, तो उसी मल को प्रकृति बड़े मजे से खाद में बदल देती है। जब मल प्राकृतिक रूप से धरती का ही अंग बनकर उसी में मिल जाता है, तो उसमें धार्मिक बुराई जैसी कोई बात समझ में नहीं आती।

लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि मल का खाद्य-फसलों पर दूषित प्रभाव पड़ता है। चीन में भी कुछ दिन लोगों की ऐसी ही धारणा रही कि मल का खेती में उपयोग करने से बीमारी फैलती है। पर यदि मल को एक ढंग से प्रयोग में लाया जाय अर्थात् पूरी तरह गल जाने के बाद ही उसका खाद के रूप में उपयोग किया जाय, तो हानि की कोई संभावना नहीं रहती। महात्मा गाँधी के आश्रम में जब वे थे तभी से विभिन्न फसलों में मैले की खाद का उपयोग किया जाता रहा और भी कई संस्थानों ने ऐसे प्रयोग किये, पर उससे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मैले की खाद का खाद्य पर अथवा उसके सेवन करने वालों पर कोई बुरा असर पड़ता हो।

मल-मूत्र के अच्छे-बुरे दोनों पहलू सामने हैं। बुराई यह है कि उसे खुला छोड़ने, जगह-जगह पाखाना फिरते रहने से उसके कीटाणु वातावरण में फैलते हैं और लोगों को रोग और बीमारी बाँटते हैं। पर मैला अच्छी खाद है, उसका समुचित ढंग से उपयोग किया जाय तो खाद्यान्न की उपज बढ़ती है। अब इन दोनों स्थितियों से लाभ या हानि उठाने का उत्तरदायित्व मनुष्य समाज को है वह जिसे चाहे उसे चुन ले।

गन्दगी और स्वास्थ्य

मल-मूत्र की गन्दगी को नियंत्रण में रखने का एक आर्थिक लाभ यह भी है कि लोग रोगों के इलाज के लिए पैसे की तंगी से बच सकते हैं। भारतवर्ष में स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रति वर्ष करोड़ो-अरबों रुपया सरकारी तौर पर खर्च होता है। इतनी बड़ी धन और शक्ति लगने के

मूल में यदि कारण की खोज की जाय, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मनुष्य की अव्यवस्था से उत्पन्न गन्दगी ही उसका प्रमुख कारण होती है। यदि इस पर थोड़ा-सा भी ध्यान दिया जा सके, तो इस बेकार के खर्चे को बचाकर निर्माण कार्यों को विकसित किया जा सकता है। मल-मूत्र को खुला छोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की अपेक्षा यही उत्तम है कि उसे सुव्यवस्थित रूप में रखें और उसका सदुपयोग करें, तो बीमारियों की बाढ़ से पिण्ड छूटे, संसार के सामने अस्वस्थ बनने के कलंक से मुक्ति मिले और आर्थिक उन्नति का, खाद्य स्थिति सुधारने का भी अवसर प्राप्त हो।

मल-मूत्र की समस्या के मूल कारण

मल-मूत्र की गन्दगी जगह-जगह पटकने की भोंडी आदत हमारे समाज की हीन मनोवृत्ति की परिचायक है। गाँवों में रहने वालों के लिए तो यह कहा जा सकता है कि वे अशिक्षित होते हैं, उनमें शुद्ध जीवन जीने की कला का विकास नहीं हो पाता, इसलिए वे गन्दगी फैलाते हैं पर शहर में तो गाँव से भी अधिक गन्दगी देखने को मिलते है। इससे स्पष्ट है पर शहर में तो गाँव से भी अधिक गन्दगी देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट है कि हमारी प्रवृत्ति साफ रहने की नहीं है और न ही इस कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं।

अपने लिए नहीं तो औरों के लिए दुर्गन्ध फैलती हो फैले, स्वास्थ्य खराब होते हों होते रहें, बीमारी फैलती हो तो फैलती रहे, पर लोग अपनी सुविधा चाहते हैं। बच्चे को नाली या सड़क के किनारे पाखाना कराने में अधिक सहूलियत दिखाई दी तो स्त्रियों ने भी सफाई को तिलांजलि दे दी। कर्तव्य पालन की उपेक्षा जिस प्रकार अन्य कामों में की जाती है वैसे ही लोग इस मामले में भी बरतते हैं। न कोई सामाजिक नियम ऐसा है न कोई कानून जिससे मैला फैलाने वालों को दण्ड मिलता हो, निन्दा या भर्त्सना की जा सकती हो, इसी से लोग और भी असावधानी करते हैं। तात्पर्य यह कि स्वच्छता की आवश्यकता से जनता व सरकार दोनों बेखबर हैं।

अमेरिका में कुत्ते पालने का बहुत शौक है। वहाँ के लोग उन कुत्तों को लेकर टहलने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें निश्चित स्थानों पर पाखाना करा लेते हैं। कुत्ते सड़क में या मकानों के आजू-बाजू कहीं भी टट्टी नहीं करते। यदि किसी का कुत्ता ऐसा अपराध कर दे, तो उसके मालिक को दण्ड भुगतना पड़ता है और जुर्माना देना पड़ता है। ऐसी ही कड़ाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ भी रखी जानी चाहिए।

साधनों का अभाव

भारतीय समाज में जिस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार आदि के व्यावहारिक तथा उपयोगी अंगों के ज्ञान का अभाव है वहाँ एक बात यह भी है कि लोगों को न सफाई के लाभों का ज्ञान है और न वे लोग मल-मूत्र की उपयोगिता को ही समझते हैं। इस प्रकार का व्यावहारिक प्रशिक्षण करने वाली संस्थाएँ तथा सदस्य सारे भारतवर्ष में नाम मात्र को मिलेंगे। साहित्य भी इस किस्म का उपलब्ध नहीं है। जापान में गन्दगी नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा कैसे सम्भव हुआ, यह विचारणीय बात है। वहाँ के निवासियों ने साधन विकसित किये हैं। सफाई से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें मिल सकती हैं और अनेक संस्थानों से उसका प्रशिक्षण मिल सकता है। मल-मूत्र तो वहाँ की बहुमूल्य सम्पत्ति है। कूड़े-कचरे को वे कम्पोस्ट बनाकर उपयोग में लेते हैं, दुर्भाग्य से हमारे देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

संकीर्ण मनोवृत्ति- एक बात यह भी है कि यहाँ के लोग यह समझते हैं कि मल-मूत्र की सफाई मेहतरों का कार्य है अन्य जातियों से उसका कोई सरोकार नहीं। एक लम्बे समय से ऐसा होता आ रहा है इसलिए यह एक सामाजिक परम्परा बन गई। भंगियों का एक वर्ग ही अलग कर दिया गया और मल-मूत्र की सफाई का उन्हें ही ठेकेदार मान लिया। प्रत्येक गाँव में मेहतरों के एक या अधिक सिर्फ दो घर होते हैं। उनमें भी सफाई करने लायक दो-चार भंगी ही होते हैं और वही सारे गाँव की गन्दगी साफ करते हैं सोचने की बात है। कि ५००-७०० आबादी वाले गाँव की दो-चार मेहतर भली-भाँति सफाई करना चाहें, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है?

शहरों में भी भंगियों की कमी रहती है। कभी ये लोग एक दिन की हड़ताल कर देते हैं, तो सारा नगर दुर्गन्ध से बिलबिलाने लगता है। लोग मल-विसर्जन के सही ढंग के पालन के लिए तत्पर न हों और इधर-उधर गन्दगी बढ़ाते फिरते रहें, तो उतनी सफाई के लिए भंगियों की व्यवस्था होना बड़ी मुश्किल बात है। दरअसल यह उत्तरदायित्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप निभाना चाहिए। अपने मल-मूत्र की सफाई के लिए लोगों को स्वयं जिम्मेदार बनना चाहिए।

भंगियों के आश्रित न बनें

यह काम आदि काल से भंगी करते रहे हैं, यह मानना भूल है। संस्कृत वाङमय में भंगी के लिए कोई सम्बोधन नहीं है। लोग दूर जंगलो में पाखाना जाते थे और उसे मिट्टी से ढक देते थे। भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में आज भी पाखाना जाने के लिए - ''बाहर जाना'' ''जंगल जाना'' ''दूर जाना'' आदि शब्दों का प्रयोग होता है। भंगियों के जन्मदाता तो मुसलमान हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को जीतकर यह काम जबरन करवाया। श्री बल्लभ स्वामी लिखित ''सफाई विज्ञान और कला'' नामक पुस्तक में इस सम्बन्ध में बड़ा उपयुक्त प्रमाण प्रस्तुत किया गया है लिखा है-

''हिन्दुस्तान में पाखाना, भंगी आदि प्रथा मुसलमानों ने शुरू की। लड़ाई में जीते हुए लोगों को जीवन दान देने और उनकी मानहानि करने के लिए उन्हें भंगी का कार्य सौंपा गया। गोंदिया से लेकर गोवा तक के मराठी भाषी प्रदेश में एक भी ऐसा भंगी नहीं है जिसकी मातृषाभा मराठी हो। गोंदिया-नागपुर की तरफ हिन्दी, बम्बई की तरफ गुजराती, कोल्हापुर की तरफ कन्नड़ भाषा-भाषी भंगी हैं। इस तथ्य पर भंगी वर्ग की उत्पत्ति के बारे में ऊपर के अनुमान को बल मिलता है।''

भंगियों के ऊपर चिरकाल तक निर्भर रहा भी नहीं जा सकता। भारतीय संविधान में उन्हें भी अन्य जातियों के समान ही अधिकार दिये गये हैं। ऐसी अवस्था में यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह लोग अन्त तक इस प्रकार का कार्य, जिसे सर्वसाधारण की दृष्टि में हीन या हेय समझा जाता है- करते ही रहेंगे। सरकारी तौर पर पिछड़ी हुई

जातियों को शिक्षा आदि की सुविधायें दी जा रही हैं, उनसे भी इसी बात की पुष्टि होती है। पढ़े-लिखे भंगी मल-मूत्र की सफाई का कार्य कभी भी स्वीकार न करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। मानवीय दृष्टि से किसी से अपना मैला साफ करवाना कोई सभ्यता की बात नहीं है। अब नहीं तो बीस वर्ष बाद यह कार्य लोगों को स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए अभी से अपनी आदतों को ठीक कर लेना चाहिए। अगली पीढ़ी को तो कम से कम मल-मूत्र का अनुशासन सीखने का पूरा अवसर प्रदान करना ही चाहिए।

गन्दगी निवारण के रचनात्मक उपाय

"स्वर्ग" शब्द में जिन गुणों का बोध होता है, सफाई और शुचिता उनमें सर्व प्रमुख है। पर चूँकि लोगों की यह मान्यता है कि स्वर्ग कहीं अन्यत्र शून्य में, बहुत दूर बसा हुआ है और वहाँ केवल जीवन-मुक्त आत्माएँ ही पहुँच सकती हैं, हम उस स्वर्ग का विवेचन नहीं करना चाहते। हम जिस युग-निर्माण योजना को लेकर राष्ट्र के आध्यात्मिक तथ्यों को पुनः जाग्रत् हुआ देखना चाहते हैं, उसका उद्देश्य भी स्वर्ग की कल्पना को स्पर्श करता है; पर यह स्वर्ग ऊपर के आसमान में नहीं यहीं, इस धरती पर जहाँ हम रहते हैं, होना चाहिए। इसलिए हम जब स्वर्ग की व्याख्या करेंगे, तो उसका सम्बन्ध अपने मनुष्य समाज को ही "देव समाज" बनाना होगा।

देव समाज की रचना

देवता जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई, स्वच्छता, शुचिता, पवित्रता, सुगन्ध, सौन्दर्य और निर्मलता प्रमुख रूप से रहती हैं। यह बातें जहाँ पर होंगी स्वभावतया वहाँ प्रसन्नता, निरालस्यता, प्रेम, सद्भाव, सहयोग, कर्मठता, सहिष्णुता, उदारता आदि गुण भी होने चाहिए। जहाँ यह गुण व्यापक मात्रा में विद्यमान होंगे वहाँ सुख, शान्ति, संतोष, समृद्धि और सम्पन्नता का होना भी अनिवार्य है। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का उद्देश्य भी तो यही है कि हम सुखी बनें, शांतिपूर्वक जीवन जियें और किसी बात का अभाव न रहे।

तो फिर धरती पर स्वर्ग अवतरित करने का प्रारंभ सफाई और

स्वच्छता से ही होना चाहिए। गन्दगी चाहे शरीर की हो, कपड़ों या घर की, भली नहीं होती, उससे मनुष्य का जीवन अपवित्र ही बनता है; पर सामूहिक गंदगी का रूप तो और भी बुरा है। मल-मूत्र की समस्या को इसीलिए सफाई की समस्या से पृथक किया गया है। हमारे देश में गन्दगी न बढ़ने देने के सामाजिक कर्तव्य का लोग पालन नहीं करते, जहाँ-तहाँ पेशाब-पाखाना कर देते हैं, इससे गन्दगी बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं और इनके साथ ही परेशानी, गरीबी और निर्धनता भी बढ़ती है। अत: अपने कर्तव्य के पालन में प्रत्येक नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। एक व्यक्ति का अकर्तव्य भी सामाजिक बुराई को जन्म दे सकता है, अत: हमें सामूहिक रूप से कर्तव्यों के पालन पर ध्यान देना चाहिए।

सफाई हमारा स्वभाव बने

मल-मूत्र की समस्या, यदि लोग अपना स्वभाव ठीक कर लें, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो लोग शहरों में रहते हैं, उन्हें पाखानों का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ-तहाँ नालियों में दुकान के नीचे, मोटर स्टैण्ड के अगल-बगल, प्लेटफार्म की बिल्डिंगों के पीछे, शहर के बीच, रेलवे लाइनें गुजरती हैं पाखाना या पेशाब नहीं करना चाहिए। पेशाप और पाखानों के लिए शहरों में टट्टी और पेशाप घर बने होते हैं। स्टेशनों, बस अड्डों पर भी मुसाफिरों के लिए शौचालय बने रहते हैं, उन्हीं में पेशाब और पाखाना करना चाहिए। प्राय: लोग उन्हें ढूँढ़ने की दिक्कत नहीं उठाना चाहते हैं, इसीलिए इधर-उधर टट्टी, पेशाब कर देते हैं। ऐसा न करने की आदत प्रत्येक नागरिक को निभानी चाहिए।

स्त्रियाँ सोचें, समझें और करें

मातायें बच्चों को नालियों के सहारे बैठाकर टट्टी करा देती हैं। वे अनुभव करती हैं कि इस तरह वे टट्टी उठाकर फेंकने की परेशानी से बच जाती हैं; पर उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि यह गन्दगी उन्हीं के बच्चों के लिए हानिकारक होती है। कोमल शरीर के बच्चों पर ही रोग के कीटाणुओं का जल्दी असर होता है। थोड़ा सावधानी के साथ बच्चों को भी पाखानों में टट्टी करा लिया जाया करे या बाहर कराकर

इसे किसी ऐसे स्थान पर डाल दिया करें जहाँ से मेहतर उसे साफ कर ले जाया करें, तो इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होती।

पाखाने की व्यवस्था

खुले हुए पाखानों की जगह सीवर की टट्टियाँ बनवा ली जायें, तो उससे पाखाने की सफाई और भी अच्छी होती है तथा भंगी के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। जिन शहरों में गन्दगी को नीचे धरातल से बहाने की व्यवस्था है, वहाँ सीवर की लैट्रिन बड़ी लाभदायक होती है। बम्बई आदि बड़े शहरों में फ्लश-सण्डासों की व्यवस्था है; पर बड़े शहरों में झोपड़ी बस्तियाँ भी होती हैं, जिनके लिए सण्डास की कोई व्यवस्था नहीं होती। बम्बई में ही अनुमान से ऐसे सात लाख व्यक्ति हैं जिन्हें रोजाना सुबह-शाम किसी भी स्थान पर पाखाने के लिए बैठना पड़ता है। जहाँ पाखाने बने हैं वहाँ भी भंगियों को पाखना बाल्टियों या खुली ढकेल-गाढ़ी में ढोना पड़ता है। अब चूँकि यह जिम्मेदारी मेहतरों को दे दी गई है, इसलिए वे बेचारे करते हैं, अन्यथा यह काम मनुष्य का नहीं है, लोगों को अपनी सफाई के लिए आप जिम्मेदार होना चाहिए। नगरपालिकाओं और कार्पोरेशनों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, ताकि मल विसर्जन के साधन हर शहरी व्यक्ति को उपलब्ध हो सकें।

सड़कों के किनारे पेशाबघरों की अधिक व्यवस्था हो, साथ ही उनकी सफाई भी नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। कई लोग पेशाबघरों में ही चुपचाप पाखाना कर आते हैं। यह भोंड़ी आदत है, ऐसा न करना चाहिए। नगरों तथा उपनगरों में जहाँ सर्विस सण्डास हैं, उन्हें भी सण्डासों में बदलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिन-जिन सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में लोग चुपचाप या निर्लज्जतापूर्वक पाखाना कर आते हैं, वहाँ पहरे की व्यवस्था रहनी चाहिए, ताकि लोग ऐसा न करने के लिए विवश हों।

समय-समय पर जगह-जगह सफाई शिविरों का आयोजन करना चाहिए। सफाई के सरल, सस्ते और अच्छे साधनों की, प्राथमिक तथा सामान्य सफाई और आरोग्य के नियमों की चर्चा व प्रशिक्षण दिया

जाना चाहिए। इसके लिए मुहल्ले में सफाई-समितियाँ रहें,तो और भी अच्छी बात है। यह समितियाँ सफाई कार्यों का निरीक्षण करती रहें और जहाँ सफाई की व्यवस्था न हो, वहाँ व्यवस्था करावें।

मल के सदुपयोग की जानकारी

मैला कम्पोस्ट की जगह निर्गन्ध मल-खाद तैयार करने के तरीकों की खोज हो तथा कम्पोस्ट बनाने के तरीकों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय जिससे गाँव के किसानों के लिए शुद्ध बढ़िया खाद उपलब्ध की जा सके। नगरवासियों में सफाई की भावना विकसित करने के लिए-टेन्किकल और सामाजिक सम्वादों से भरी हुई सिनेमा फिल्म्स, पोस्टर्स, प्रदर्शनी आदि योजनाओं को प्रसारित किया जा सकता है। नासिक रोड (महाराष्ट्र) में केन्द्रीय गाँधी निधि की ओर से सफाई महाविद्यालय और संशोधन-केन्द्र चल रहे हैं,वहाँ पर नगरपालिकायें अपने चुने हुए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण लेने के लिए भेज सकती हैं।

इस सम्बन्ध में सफाई महाविद्यालय, नासिक रोड (महा.) अथवा ११४ ई., विट्ठल भाई पटेल रोड, मुम्बई-४, के पते पर पत्र व्यवहार करना चाहिए। स्थानीय सफाई-पत्रिकायें भी शुरू की जा सकती हैं। समाज-सेवी व्यक्तियों को ऐसे भाषण तथा लेख भी प्रसारित करने चाहिए जिससे नगरवासी सफाई के महत्व को समझ सकें और अपने दैनिक जीवन में उसे भी एक आवश्यक कर्तव्य मानकर उसका पालन करते रहें।

गन्दगी के सम्बन्ध में हमारी भ्रमपूर्ण धारणा

वास्तव में गन्दगी के सम्बन्ध में हमारी धारणा बड़ी भ्रमपूर्ण और अज्ञानतामूलक है। गन्दगी किसी वस्तु या पदार्थ में नहीं है, वरन् उसके प्रयोग और व्यवहार में है। अपनी गलती से हम अमृतोपम फलों को भी सड़ाकर गन्दा बना सकते हैं। दूध को बासी और फटा बना डालते हैं, तो वह भी फेंकना पड़ता है। गर्मी में रोटियों को असावधानी से रखने पर उनमें से तार टूटने लगते हैं और वे खाने के अयोग्य समझकर फेंक दी जाती हैं। ये सब चीजें वास्तव में गन्दी नहीं होतीं, पर मनुष्य अपनी गलती या असावधानी से उनको बिगाड़ डालता है और तब उनको

उसी प्रकार फेंक देना पड़ता है जिस प्रकार अन्य गन्दी मानी जाने वाली वस्तुओं को।

दूसरी तरफ हम अनेक ऐसी चीजों को देखते हैं जो गन्दी और फेंकने योग्य होने पर भी समझदारी से प्रयोग करने पर भी लाभदायक सिद्ध होती हैं। एक बार हमारे एक मित्र ने अपने घर के सामने की खाली जमीन में अंगूर की दो बेलें लगाईं। वे जैसे-तैसे लग तो गईं, पर काफी सींचने पर भी ज्यादा न बढ़ी और न उनमें फल आये। यह देखकर पास ही रहने वाले एक कहार ने कहा कि मैं इनको ठीक कर दूँगा। दूसरे दिन वह मछली-बाजार में से मछलियों के कटे हुए बेकार अंगों तथा छिलकों आदि को बटोर कर एक टोकरे में भर लाया और बेलों की जड़ में गड्ढा करके उसमें उस "गंदगी" को भर कर मिट्टी से दबा दिया। दस-पाँच दिन के बाद ही वह बेल बढ़ने लगी और बहुत ऊँचाई तक पहुँचकर वर्षों तक फल देती रही।

इन दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि गन्दगी या उपयोगिता का निर्णय मुख्य रूप से किसी वस्तु के उपयोग के आधार पर ही किया जा सकता है। बरसात में हम प्रायः देखते हैं कि गाय-भैंसों का गोबर मार्ग में पड़ा सड़ा करता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और चारों तरफ गन्दगी ही गन्दगी दिखाई पड़ने लगती है। कारण यही है कि गर्मी और जाड़े में तो गोबर बटोरने वाली स्त्रियाँ और लड़के-लड़कियाँ गोबर को ले जाकर उसके उपले थाप देते हैं; पर बरसात में एक तो पशुओं का गोबर नई घास खाने से पतला होने लगता है और दूसरे वर्षा होते रहने के कारण उसके सूखने की स्थिति नहीं रहती। नगरों के आस-पास की सड़कों पर गोबर की खाद बना सकने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती। इससे वह तमाम गोबर सड़ने लगता है और उस गन्दगी को हटाने के लिए म्युनिसपैलिटी को बहुत कुछ खर्च और परिश्रम करना पड़ता है।

इसी प्रकार एक दर्शक ने मुझे बतलाया कि मुम्बई शहर का मैला रोज ही समुद्र में गिरता है, वहाँ एक समय तो गन्दगी ही गन्दगी दिखाई पड़ती है, पर जब समुद्री मछलियाँ उसे खाकर साफ कर देती हैं, तो उन्हीं मछलियों में से कुछ को पकड़ कर मछली वाले बाजार में बेचने ले जाते हैं और ग्राहक लोग मैले का विचार न करके काफी दाम देकर

उनको ले जाते हैं। हमारे ग्रामीण सूअर विशेष रूप से मैले को खाकर ही पलते हैं; पर मांसाहारियों को उनका मांस खाने में कोई ऐतराज नहीं होता।

अगर हम इस प्रकार गहरी दृष्टि से गन्दगी और स्वच्छता की समस्या पर विचार करें, तो यही विदित होता है कि हम अपनी धारणा से ही विभिन्न पदार्थों में इस प्रकार की भावना बना लेते हैं। मुख्य बात प्रत्येक वस्तु के सही उपयोग की है। मनुष्य ने अपने मल को सबसे अधिक गन्दा मान लिया है, यह उसकी धारणा ही है अन्यथा शौच हो जाने पर भी हर एक मनुष्य के शरीर के भीतर सेर दो सेर मल भरा ही रहता है। जिन लोगों को पुराना कब्ज होता है उनके मूलाधार में से डाक्टरों ने मरने के बाद शरीर को काटकर कई-कई सेर तक मल निकाला है। इस प्रकार हम एक मल से थैले को लेकर जीवन भर समस्त कार्य करते रहते हैं, पूजा-पाठ, भजन-उपासना भी करते हैं; पर उस समय उसमें हमें कुछ गन्दगी नहीं जान पड़ती। पर जैसे ही वह बाहर आ गया कि हम उसे सबसे अधिक गन्दी और घृणा के योग्य वस्तु मान लेते हैं। इसे हम एक भ्रमपूर्ण धारणा न कहें तो क्या कहें?

वास्तव में गन्दगी प्रत्येक वस्तु के व्यवहार में है। मनुष्य का मल अन्य प्राणियों के मल की अपेक्षा शीघ्र सड़ने लगता है, इसलिए वह हमको ज्यादा गन्दा लगता है; पर इसका उपाय तो यही है कि हम शीघ्र से शीघ्र उसकी ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे उसकी गन्दगी बढ़ने और फैलने न पावे। इसका सर्वोत्तम तरीका महात्मा गाँधी के आश्रम में निकाला गया था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति शौच जाने के पश्चात् पास ही रखी हुई मिट्टी में से एक खुरपी मिट्टी उठाकर उससे मल को अच्छी तरह ढक देता था। इससे उसकी दुर्गन्ध तुरन्त दब जाती थी। इससे गन्दगी जरा भी बढ़ नहीं पाती थी और खाद के रूप में मल का "सदुपयोग" भी हो जाता था।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के कर्तव्य

शहरों की मल-मूत्र समस्या को बहुत शीघ्र नियंत्रण में लिया जा सकता है; पर गाँवों की समस्या कुछ अधिक दुरूह है। गाँवों की

अधिकांश जनता अनपढ़ होने से वे लोग किसी बात की उपयोगिता उतनी जल्दी नहीं समझते। तो भी युग-निर्माण आन्दोलन के कर्मठ कार्यकर्ता यदि आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी देने के लिए कटिबद्ध हो जायें, तो वहाँ भी मल-मूत्र की समस्या को शीघ्र ही काबू किया जा सकता है।

पहला कार्य यह है कि लोगों को मल-मूत्र की गन्दगी से पैदा होने वाले रोग और बुराइयों की जानकारी दी जाय। नम्बर दो-उन्हें मल-मूत्र की उपयोगिता और उसे खाद के रूप में प्रयोग करने को तैयार किया जाय। दो कार्यक्रम सैद्धांतिक हुए। इसके बाद रचनात्मक कार्यक्रमों का आन्दोलन उठाना चाहिए।

पहला तरीका यह है कि लोग खेतों पर पाखाना करें, तालाबों के आसपास की जमीन में या गाँव के किनारे रास्तों में मैला न फैलायें, पाखाना जाते समय लोग अपने साथ खुरपी लेकर जायें और गड्ढा खोदकर उसमें पाखाना करें, बाद में उसे मिट्टी से ढक दें। इससे वह मल कुदरती तौर पर खाद बन जाता है।

जमीनी छप्परों का घेरा डालकर सामूहिक पाखाने तैयार किये जायें। इनकी गहराई इतनी होनी चाहिए जिससे एक पाखाना कम से कम एक वर्ष या छः महीने तक तो काम दे ही जाय। पाखाने के लिए बैठने की लकड़ी को काटकर इस तरह तैयार किया जाय कि दोनों पैरों को रखने के लिए दो मजबूत पट्टे बने रहें और उनके बीच में मल विसर्जन के लिए काफी चौड़ाई से उसे काट दिया जाये। इस प्रकार एक पाखाने को घेर दिया जाय ताकि एक साथ दस-बारह व्यक्ति भी अगर पाखाने को बैठें, तो इसमें कोई परेशानी न आये। पाखाने पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग हों।

बच्चों के लिए बाल्टी की टट्टियाँ बनवा ली जाँय और वे मकान के ऐसे कोने में हों जहाँ दुर्गन्ध न फैले। बैठने के लिए कुर्सीनुमा लगाना चाहिए और जब एक बार बच्चा पाखाना फिर ले तो उसे मिट्टी या राख से ढक देना चाहिए ताकि बदबू न फैले।

छोटे सॉक पिट्स

घरों के आस-पास पेशाब फैलाने की घृणित आदत से बचने के लिए छोटे-छोटे सॉक पिट्स बनाये जायें। २x२ फुट का एक गड्ढा खोदकर उसमें कंकड़ भर दिये जायें और दो ईंटें रख कर पैर रखने का प्रबन्ध कर लिया जाय। सामने से फूँस की टट्टी या कच्ची मिट्टी की दीवार उठाकर परदा बना लिया जाय। यह सॉक पिट्स मूत्र की गन्दगी रोकने में सहायक होते हैं। कंकड सारा मूत्र पीते रहते हैं और धूप में वह सूखता रहता है, फलस्वरूप न तो मूत्र जमा हो पाता है, न दुर्गन्ध बढ़ने पाती है और कंकड़ों को बदलने की भी परेशानी नहीं होती। इनमें कभी-कभी चूना अथवा फिनाइल डालते रहना चाहिए। यह सार्वजनिक उपयोग का भी काम दे सकते हैं।

सरकारी प्रयत्नों की जानकारी-मल-व्यवस्था के लिए उत्तरप्रदेश सरकार का अनुसंधान भी उल्लेखनीय है। गाँवों के लिए एक ऐसे सर्वसुलभ एवं दुर्गन्ध रहित शौचालय का डिजाइन तैयार किया गया है जो काफी सस्ता है, थोड़े जल से साफ किया जा सकता है, कम खर्च में बन जाता है तथा गाँव के कारीगर गाँव में ही बड़ी सरलता से उसे बना भी सकते हैं। इस व्यवस्था से मल सड़ जाने के बाद उसका खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी जानकारी विकास खण्ड चिनहट जिला लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। हर गाँव में इस प्रकार शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है। उससे गाँवों के कुछ बेकार लोगों को काम भी मिल सकता है, मल-मूत्र की समस्या भी हल हो सकती है और उस मल की खाद का सदुपयोग भी हो सकता है।

मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस,मथुरा